महिलाओं की उन्नति के खुलते नए द्वार

–सिद्धार्थ झा

राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनें, शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस कर सकें और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकें।

महिलाओं के प्रति आदर और गौरवपूर्ण व्यवहार हमारे देश के चिंतन का मूलभूत सिद्धांत रहा है और महिलाओं ने समाज के आधे हिस्से के रूप में आदिकाल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में अपनी प्रमाणिकताएं, प्रासंगिकताएं, क्षमता और सामर्थ्य का भरपूर परिचय दिया है। एक महिला सशक्त होती है, तो वह दो परिवारों को सशक्त बनाती है। प्राचीनकाल में भी महिलाएं शक्ति का उदाहरण थीं। वे ज्ञान का भंडार थीं। किंतु, एक समय ऐसा आया कि महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। किंतु, ये समय भी अधिक समय तक नहीं टिका। एक बार फिर से महिलाएं घर की चौखट से बाहर आने लगी हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं।

दरअसल महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज का विकास अधूरा है। इसमे कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से ही नए भारत की नींव पड़ेगी। मोदी सरकार जब 2014 मे सत्ता में आई थी तो आधी आबादी में ये उम्मीद जागी थी कि अब उनके भी नए सफर की शुरुआत यहीं से होगी। आपको याद होगा कि वर्ष 2012 में थामसन रायटर्स फाउंडेशन के द्वारा 19 उभरते हुए देशों में किए गए सर्वे में भारत सबसे निचले पायदान पर था और उसकी वजह बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारण गिनाए गए। ये वो दौर था जब यूपीए की अध्यक्ष, राष्ट्रपति और लोकसभाध्यक्ष इन सभी पदों की शोभा महिलाएं ही बढ़ा रही थीं। एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपने शुरुआती कामों से ही ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर वो कितनी गंभीर है। सरकार महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

सरकार महिलाओं के लिए पिछले कुछ समय में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। संभवतः किसी एक आलेख मे इसे समेट पाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा

100 और वन स्टॉप सेंटर

आने वाले वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर को 50,000 रूपये की अतिरिक्त वार्षिक धनराशि प्राथमिक चिकित्सा के लिए दी जाएगी। 21 अप्रैल, 2018 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 से अब तक 182 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) का निर्माण किया है। ये केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.3 लाख से ज्यादा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

ओएससी का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता की सेवा उपलब्ध कराना है जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, मानसिक –सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, पांच दिनों का अस्थाई निवास आदि। पीड़ित महिला एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण मानक प्रारूप में वर्तमान में उपलब्ध भवनों तथा नए भवनों में किया गया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ का वन स्टॉर सेंटर एक शानदार भवन में कार्यरत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

मंत्रालय की महिला हेल्पलाइन–181 को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अप्रैल, 2015 से शुरू किया गया है और अब यह 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है। प्रत्येक ओएससी को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इन हेल्पलाइनों के जरिए अब तक 16.5 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके द्वारा सरकार की ये कोशिश है कि गिरते लिंगानुपात के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकना इसका मुख्य मकसद है। जिसके लिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है। इस पहल को लोगों ने हाथों–हाथ लिया क्योंकि ये सरकारी पहल से कहीं अधिक सामाजिक पहल थी। हरियाणा से ही इस योजना का शुभारंभ करने का संदेश साफ था क्योंकि वहां समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस योजना का परिणाम हरियाणा में काफी हद तक दिखाई देने भी लगा है, जहां हर 1000 पुरुषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है। हाल तक यहां के आंकड़ें काफी चिंताजनक थे।

इसके कुछ ही महीने बाद केंद्र सरकार बलात्कार, यौन हिंसा जैसे घृणित अपराध से महिलाओं और बच्चियों की रक्षा के लिए **वन स्टॉप सेंटर स्कीम** लेकर आई जिसे पहली अप्रैल 2015 से निर्भया फंड से लागू किया गया। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग–अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। इस हेल्पलाइन का भी सार्वभौमिकरण किया गया यानी सभी राज्यों में ये हेल्पलाइन नंबर मान्य है। इतना ही नहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए ई–प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इस ई–प्लेटफॉर्म की सुविधा के माध्यम से केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी ऐसे मामलों में ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भी कार्यान्वयन में लाया गया है। **हाल में ही बच्चियों के साथ बढ़ती हुई दरिंदगी पर चिंतित सरकार पासको एक्ट में भारी बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए फांसी का अध्यादेश लेकर आई है जिसका सभी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वागत किया है।** इतना ही नहीं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों का भी गठन किया गया है जिसको एक निश्चित समय–सीमा में फैसला करना होता है। इतना ही नहीं कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है इसका प्रमाण है सरकार की ये दूरगामी सोच जिसके तहत मोबाइल फोन और कैब में पैनिक बटन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं और बहुत हद तक ये सुविधा उपयोग में लाई जाने लगी है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है। ऐसे में महिलाओं के साथ हुई किसी अप्रिय घटना में पुलिस की भूमिका कैसे संवेदनशील हो सकती है इसके लिए जरूरी है महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में बढ़े। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत पुलिस में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन उपायों से देश भर की महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। ये सभी योजनाएं एक–दूसरे से जुड़ी हैं। सभी मंत्रालयों के बीच

बेहतर समन्वय करने की बेहतरीन कोशिश की गई है वरना अब तक पीड़िता को न्याय के लिए दर–दर भटकना पड़ता था। एक डेस्क से दूसरे डेस्क और न्याय की संभावनाएं भी धूमिल हो जाती थी। लेकिन निश्चिंत तौर पर उपरोक्त सुधारों से महिलाएं कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस कर रही होंगी।

महिलाओं को सशक्त करना है तो जरूरी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आई जिसने आधी आबादी की नींव को मजबूत किया है। अगर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें तो हम पाएंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं सिर्फ निजी क्षेत्र में इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि मां बनना एवं बच्चे का पालन–पोषण उनके कैरियर की राह मे बहुत बड़ी बाधा साबित होता है। सरकार ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में एक निश्चित दूरी पर क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि महिलाएं अपने छोटे बच्चों को वहां छोड़ सकें। महिलाओं को मातृत्व अवकाश के समय घर से भी काम करने की छूट दी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए नया मातृत्व लाभ संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत **कामकाजी महिलाओं के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश** की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम 1 जनवरी, 2017 से लागू है। इसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में 6000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। साथ ही काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्किंग वुमेन होस्टल भी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर उनके बच्चों के देखभाल की सुविधा और जरुरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, अर्ध–शहरी और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं और अन्य प्रयास महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये सब बातें महिला सशक्तिकरण के संबंध में इस सरकार की प्रतिबद्धता को ही दिखाती है। इसी तरह उनको उद्यमी बनाने की दिशा में मुद्रा योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना का लाभ किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना संगठित क्षेत्र में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाई है जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से बिना गारंटर के मिल जाता है। इस दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं जिससे कि महिलाएं भी कारोबार के क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले सकें। इन योजनाओं को वुमन स्पेशल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें महिला वैभव लक्ष्मी, महिला शक्ति, मुद्रा स्कीम जैसी तमाम स्कीमों पर सस्ती दरों पर ऋण मिल रहा है। मुद्रा लोन के तहत 70 फीसदी लोन महिला उद्यमियों को दिए गए।

महिला ई–हाट एक अनोखा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, साथ ही सरकार के इस कदम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनने का अवसर भी मिल रहा है। इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल

- स्टैंडअप इंडिया के तहत 8000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण महिलाओं को दिया गया।
- उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।
- जन–धन खातों से करीब 16.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयंसहायता समूहों को दी जाने वाली राशि में पिछले चार वर्षों में 175 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- मुद्रा योजना से 9 करोड़ महिलाओं को लाभ।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देशभर में बेटियों के नाम करीब सवा करोड़ बैंक खाते खुले जिनमें 19000 करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा हुई।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक प्रेग्नेंसी चैकअप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक महिलाओं को 271.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत 80 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ई–हाट तीन चरणों की श्रृंखला का पहला चरण मात्र है। दूसरे चरण में व्यापार और वाणिज्य के साथ एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए ई–कॉमर्स पोर्टल के साथ जुड़ना होगा और आखिरकार, यह एक महिला उद्यमियों के परिषद के रूप में परिणत हो रहा है, जो इस उद्यम को व्यापक बनाने और संस्थागत बनाने में मदद करेगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

इस योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। लिंगानुपात बेहतर हुआ है और लड़कियों की स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने के मामलों में भी कमी आई है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना वर्तमान में यह योजना देश में 161 जिलों में लागू है और इसमें 244 नए जिलों को जोड़ा गया है। इस योजना का विस्तार भारत के सभी 640 जिलों में किया जाना है। शेष 235 जिलों को मीडिया व जागरूकता अभियान द्वारा जोड़ा जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा लड़की की सुरक्षा और भविष्य के साथ–साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में ही शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के खाते डाकघर में खोले जाते हैं। इन खातों में जमाराशि पर 8.1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान है। बेटियों की शिक्षा और समृद्धि की यह योजना अभिभावकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए 'नई रोशनी योजना' बनाई गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

हाल ही में, सरकार ने एक नई कल्याण योजना 'महिला शक्ति केंद्र योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने के बाद केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।

असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपने परिवारों के लिए खाना पकाने वाली महिलाओं की तो जिंदगी ही बदल गई है। लकड़ी से निकलने वालें धुएं और स्टोव के धुएं के खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए **उज्ज्वला योजना** शुरू की गई। गरीबी–रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को बेहतर जीवन के लिए सरकार ने उन्हें बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं आज भी जारी हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य में लगातार सफलता मिल रही है।

अब सबकी नजरें संसद की तरफ है जहां संसद में महिलाओं को 33 फीसदी हिस्सेदारी मिले। राज्यसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है लेकिन लोकसभा में अभी इसकी राह आसान नहीं हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा की 543 में से 179 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि राज्य विधानसभाओं की 4120 सीटों में से 1360 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यानी महिलाओं को साथ लेकर देश के विकास का स्वप्न साकार होने का रास्ता खुलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि तीन तलाक को गैर–कानूनी घोषित करने संबंधी बिल लोकसभा मे पास करने के बाद केंद्र महिला आरक्षण बिल को लेकर सक्रिय हो गई है।

हर रोज आसानी से हमारी जिंदगियों में कई अहम भूमिकाएं निभाने वाली महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनें, शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस कर सकें और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकें।

(लेखक लोकसभा टीवी में पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sidharthjha@gmail.com